

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सं. 6/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि.608 (अ).- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सत्यापन की रीतियां अधिसूचित करता है, अर्थात् :-

(i) आधार आधारित इलैक्ट्रॉनिकी सत्यापन कूट (ईवीसी) ;

(ii) बैंक खाता आधारित एक बार का पासवर्ड (ओटीपी) ;

परंतु जहां किसी दस्तावेज के सत्यापन की रीति पूर्वोक्त किसी एक रीति के माध्यम से है, वहां ऐसा सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो दिन के भीतर किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा. श्रीपार्वती एम.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

No. 6/2017 – Central Tax

G.S.R. 608 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 26 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), the Central Board of Excise and Customs hereby notifies the following modes of verification, for the purpose of the said rule, namely:-

- (i) Aadhaar based Electronic Verification Code (EVC);
- (ii) Bank account based One Time Password (OTP):

Provided that where the mode of authentication of any document is through any of the aforesaid modes, such verification shall be done within two days of furnishing the documents.

2. This notification shall come into force on the 22nd day of June, 2017.

[F. No. 349/72/2017-GST]

DR. SREEPARVATHY.S.L. Under Secy.